लार्ड कार्नवालिस के सुधार

Course - M.A. History, Part - II, Paper - XI; Prepared by - Dr. P.K. Poddar

1786 ई० में कार्नवालिस को गवर्नर-जनरल नियुक्त कर भारत भेजा गया। पिट्स इंडिया ऐक्ट के अन्तर्गत वैधानिक शांति स्थापना तथा शासन के पुनर्गठन का दायित्व उसे सौंपा गया था। भारत आगमन के पश्चात् अपनी गवर्नरी के दौरान उसने प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक सुधार किए। शासन के क्षेत्र में कार्नवालिस का मुख्य लक्ष्य सादगी, सत्यता और व्यय को कम करना था। उसने कम्पनी तथा भारत की आंतरिक शासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुधार किए।

प्रशासनिक सुधार

कार्नवालिस अपने लोभ से ऊपर था, अतः अपनी इस चारित्रिक गुण के कारण उसने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत कार्यकलापों पर आवश्यक अंकुश लगाया। इसके तहत उसने सबसे पहले अधिकारियों को घूस और उपहार लेने तथा निजी व्यापार करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसने अनुभव किया कि भ्रष्टता का प्रधान कारण कर्मचारियों को वेतन की न्यूनता थी। अतएव उसने कंपनी के नौकरों के वेतन में वृद्धि कर दी जिससे वे रिश्वत, भेंट-उपहार आदि न लें और ईमानदारी से काम कर सकें। इस प्रकार कार्नवालिस ने भ्रष्टाचार को दूर करने और कंपनी के नौकरों को ईमानदार एवं कर्तव्यपरायण बनाने का प्रयत्न किया।

कंपनी के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति सिफारिश पर होती थी। फलतः अयोग्य और कर्तव्य भ्रष्ट व्यक्ति भी कम्पनी के उच्च पदों पर आसीन हो जाते थे। कार्नवालिस ने सिफारिशों से नियुक्ति की प्रथा को बंद कर दिया और वह योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ करने लगा। अतः अब योग्य, ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों की नियुक्ति होने लगी।

कार्नवालिस ने कम्पनी के उच्च पदों पर या जिसका वेतन 500 पौंड वार्षिक से अधिक होता था, यूरोपियों की नियुक्ति की। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह प्रत्येक भारतीय को भ्रष्ट मानता था तथा साथ ही उसे भारतीयों की राज्यभक्ति में भी संदेह था। इस प्रकार, उसने उच्च पदों का द्वार भारतीयों के लिए बंद कर दिया।

पहले जमींदार लोग ही पुलिस का काम करते थे। लेकिन अब कार्नवालिस द्वारा जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए। इसके परिणामस्वरूप भोले भाले ग्रामीणों को उनके शोषण की नीति से थोड़ी राहत मिली। ग्रामीण इलाकों में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले को 400 वर्गमील के क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया तथा प्रत्येक क्षेत्र में एक दारोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गए।

कार्नवालिस ने कंपनी की सेना के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया। अभी तक कंपनी के सैनिकों की भर्ती की कोई समुचित व्यवस्था न थी। अतएव अयोग्य व्यक्ति भी सेना में भर्ती कर लिए जाते थे। कार्नवालिस के अनुरोध पर नियंत्रण बोर्ड के सदस्य डंडास ने इंगलैंड में सैनिक भर्ती करने की समुचित व्यवस्था कर दी। अब अयोग्य व्यक्ति सेना में बहाल न होने लगे। कार्नवालिस भारतीयों को संदिग्ध दृष्टि से देखता था अतएव सेना में भी अधिकांशतः अंग्रेज ही बहाल किये जाते थे।

न्यायिक सुधार

न्याय व्यवस्था में कार्नवालिस के कार्य और सुधार काफी महत्वपूर्ण साबित हुए। उसने सम्पूर्ण कम्पनी राज्य को 23 जिलों में बाँट दिया और प्रत्येक जिले में एक कलक्टर की नियुक्ति की। कार्नवालिस ने कलक्टरों से न्याय-अधिकार छीन लिया

और अब उनका काम जिले का शासन देखना और लगान इकट्ठा करना था। न्याय-प्रशासन के लिए प्रत्येक जिले में अंग्रेज न्यायाधीश नियुक्त किए गए जो जिला जज कहलाते थे। जिला जज जिले की अदालत का प्रधान होता था और फौजदारी, दीवानी तथा लगान सम्बन्धी झगड़ों का फैसला करता था। उसकी मदद के लिए भारतीय सहायक होते थे जो हिन्दू और मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ होते थे।

जिला अदालत के नीचे छोटी-छोटी दीवानी तथा फौजदारी अदालतें होती थीं जिसमें मुन्सिफ तथा सदर अमीन न्यायाधीश का काम करते थे। वे छोटे-छोटे मुकदमों का फैसला किया करते थे।

जिला अदालतों के ऊपर चार प्रान्तीय अदालतें थीं जहाँ जिलों की अदालतों द्वारा किए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। प्रान्तीय अदालत ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद तथा पटना में थी। प्रत्येक प्रान्तीय अदालत में तीन यूरोपीय जज होते थे जो कंपनी के प्रतिष्ठाबद्ध सेवक होते थे। इनको सहायतार्थ तीन परामर्शदाता होते थे – एक काजी, एक मुफ्ती और एक पंडित।

कलकत्ता में सदर दीवानी तथा सदर निजामत की अदालतें स्थापित की गईं। इसमें गवर्नर जनरल तथा उसकी कौंसिल के सदस्य न्यायाधीश का काम करते थे। यहाँ हिन्दू तथा मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ सहायक न्यायाधीश भी बैठते थे। यह अपील की सबसे बड़ी अदालत थी। यहाँ प्रान्तीय अदालतों (पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा कलकत्ता) के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जाती थी।

इस तरह गाँव के स्तर तक न्यायालयों की स्थापना कर कार्नवालिस ने आम जनता के लिए सरलता से न्याय को सुलभ कर दिया।

कार्नवालिस ने भारतीय कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे 'कार्नवालिस कोड' कहते हैं इसके द्वारा कानून की प्रधानता पर जोर दिया गया और वैयक्तिक स्वतंत्रता स्थापित की गई।

कार्नवालिस ने वकालत व्यवसाय को नियमित बनाने का प्रयत्न किया। वकीलों की फीस निर्धारित की गई और जो निर्धारित फीस से अधिक लेते थे उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता था। वकीलों की नियुक्ति सदर दीवानी अदालत के हाथों में सौंप दी गई ताकि इस पद के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता को अच्छी तरह से परखा जा सके तथा नियुक्ति के पश्चात् उन पर दृढ़ नियंत्रण रखा जा सके।

पहले नियमों को प्रकाशित करने की पद्धति संतोषजनक नहीं थी। यह निश्चय करना कठिन हो जाता था कि देश के वास्तविक कानून क्या हैं। अतएव एक नियम बनाया गया कि भविष्य में जो आज्ञाएँ और नियमादि किसी वर्ष निकलें वे सब प्रकाशित की जाँय और एक ही जिल्द में इकट्ठे किए जाँय। इससे जानकारी प्राप्त करने तथा सूचना मिलने में सुविधा हो गई।

न्याय विभाग में काम करने वाले अधिकारियों को कम वेतन मिलता था। फलतः योग्य और प्रतिभावान व्यक्ति दूसरे विभाग में चले जाते थे। कम वेतन मिलने के कारण न्याय विभाग में काम करने वाले अधिकारी रिश्वत, भेंट-उपहार आदि लिया करते थे। फलतः न्याय प्रशासन भ्रष्ट हो गया था। अतएव कार्नवालिस ने न्याय-विभाग के अधिकारियों के लिए अच्छे वेतनों का प्रबंध किया जिससे चरित्रवान तथा योग्य व्यक्ति न्याय विभाग में प्रविष्ट हों।

न्याय विभाग के उपर्युक्त सुधारों के कारण ही कार्नवालिस को आधुनिक भारतीय न्याय-व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है।

व्यापारिक सुधार

कम्पनी का मुख्य काम भारत में वस्तुएँ खरीदना एवं बेचना था। परन्तु यह कार्य ठीक से नहीं चल रहा था। प्रायः कंपनी का माल घाटे पर बिकता था जबकि कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार से लाभ उठा रहे थे। इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार था। इसलिए इस क्षेत्र में सुधार करना नितांत आवश्यक था। कार्नवालिस ने बोर्ड ऑफ ट्रेड के सदस्यों की संख्या 11 से घटाकर 5 कर दी और बोर्ड ऑफ ट्रेड को कलकत्ता कौंसिल के नियंत्रण में रख दिया। उसने कंपनी के नौकरों को माल खरीदने के लिए ठेके की प्रथा को बंद कर दिया। उसने माल खरीदने का काम हिन्दुस्तानी व्यापारियों को सौंप दिया और कम्पनी के नौकरों को केवल कमीशन एजेंट बना दिया। कार्नवालिस ने भारतीय व्यापारियों तथा कारीगरों के हितों का भी संरक्षण किया। उसने जुलाहे कंपनी के कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी दूसरे के हाथ कपड़ा नहीं बेचते थे। चाहे उन्हें हानि ही क्यों न सहना पड़े। परन्तु कार्नवालिस ने यह नियम बना दिया कि जितना धन जुलाहों को पेशगी दिया जायेगा उतना ही माल जुलाहे कंपनी के नौकरों को हाथ बेचेंगे। कार्नवालिस को उपर्युक्त व्यापारिक सुधारों से कंपनी की आर्थिक दशा कुछ सुधर गई।

भूमि-सम्बन्धी सुधार (स्थायी बंदोबस्त)

किन्तु इन सुधारों से कहीं अधिक लगान व्यवस्था के क्षेत्र में लाये गए सुधार के कारण कार्नवालिस का शासन काल आधुनिक भारतीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उसकी भूमि व्यवस्था स्थाई प्रबंध (Permanent Settlement) के नाम से प्रसिद्ध है। इसका उद्देश्य लगान व्यवस्था में स्थायित्व स्थापित करना था। 22 मार्च, 1793 को स्थायी प्रबंध लागू

कर दिया गया जिसके अनुसार भूमि पर जमींदारों तथा उनके उत्तराधिकारियों का स्वामित्व शाश्वत रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रबंध के अनुसार राज्य की आय निश्चित हो गई क्योंकि जमींदार को प्रतिवर्ष जितना लगान देना था वह हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई थी। अगर जमींदार लगान देने में असमर्थ हो जाते तो उनकी जमीन छीन ली जाती थी। राजनीतिक रूप से इस व्यवस्था ने एक ऐसे राजभक्त जमींदारों की श्रेणी उत्पन्न की जिन्होंने कंपनी की हर प्रकार से रक्षा करने का वचन दिया, क्योंकि कंपनी ने उनके अधिकारों को सुरक्षित किया था। इस विपलब्ध जमींदार वर्ग ने भविष्य में अंग्रेजों का पूरा-पूरा साथ दिया और राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति में रोड़े अटकाए। यह व्यवस्था जहाँ अंग्रेजों के लिए हितकर साबित हुए वहाँ भारतीयों को अपार कष्ट का सामना करना पड़ा। छोटे किसानों को इससे किसी भी तरह का लाभ नहीं हुआ। उनकी स्थिति धीरे-धीरे और बदतर होती गई और उनका शोषण चरम सीमा पर पहुँच गया। केवल जमींदारों के साथ समझौता करके और किसानों के अधिकारों को पूर्णतया भूलाकर एक महान भूल और अन्याय किया गया था।

इस प्रकार कार्नवालिस ने विभिन्न क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधार किए। जबतक वह कंपनी का गवर्नर जनरल रहा उसने बड़ी ईमानदारी एवं सच्चरित्रता से अपने उत्तरदायित्वों को निभाया। उसने कंपनी शासन में ईमानदारी लाने एवं भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयत्न किया। उसने वारेन हेस्टिंग्स के अधूरे कामों को पूरा किया। हेस्टिंग्स की अपेक्षा उसे अपनी सुधार योजनाओं में विशेष सफलता मिली। वह भारत में अंग्रेजी यश को पुनः स्थापित करने में सफल रहा।